

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि:- 10/07/2023

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal